न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 114/2022

दायर दिनाँक 05.04.2022

वादी		प्रतिवादी
1. अब्दुल हफीज खां पुत्र मो0 हुसैन खां उम्र 40 वर्ष जाति पठान निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मो0 अजीज खां पुत्र मो0 हुसैन खां जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

उपस्थित:—

1. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी।
2. श्री ओमप्रकाश मोठ वकील प्रतिवादी सं0 01।

दिनाँक 05.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 की पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा सं0 पुराना 1049 रकबा 22 बीघा 07 बिघा वाकै सरहद डीडवाना पटवार हल्का, डीडवाना भू—अभिलेख निरिक्षक, डीडवाना एवं खसरा सं0 240 रकबा 1.8100 हैक्टे0 वाकै सरहद अमरपुरा, पटवार हल्का दादुबासनी, भू—अभिलेख निरीक्षक कोलिया तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में स्थित है। नकल खतौनियां वाद—पत्र के साथ पेश है।

यह है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 दोनो सगे भाई तथा स्व0 मो0 हुसैन के विधिक वारिसान है तथा उपरोक्त आराजियात भूमि में बराबर—बराबर हक हिस्से के अधिकारी है तथा उसी अनुरुप संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच उपरोक्त वर्णित खेताय की भूमि के संबन्ध में वर्षो पहले मौखिक बंटवारा होकर वादी के तन्हा हक व बंट के अनुसार खेत खसरा सं0 पुराना 1049 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद डीडवाना में से नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी के अनुसार 05 बीघा 12 बिस्वा तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के हक व बंट व कब्जा काश्त में तथा खेत खसरा सं0 240 रकबा 1.8100 हैक्टे0 वाकै सरहद अपरपुरा में से नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी के अनुसार 1.8100 हैक्टे0 का 1/2 भाग सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्से अनुसार बंट व कब्जा काश्त में आई हुई है। जिस पर वादी मौके पर वर्षो से काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ने सन 2003 में एक वाद बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का अली हसन खां, गुलाम हसन खां पुत्र अशरफ खां व इस्लाम बानो पत्नि ममद अली उर्फ मुन्ना के विरूद्व किया था। जो दर्ज रजिस्टर होकर राजस्व वाद सं0 41/2003 बअनुवान मो0 अजीज बनाम अली हसन खां जो न्यायालय श्रीमन के ही न्यायालय में पेश किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 28.07.2003 को हो चूका है। उक्त निर्णय में खसरा सं0 व पुराना 1049 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद डीडवाना में से 1/2 हिस्सा उत्तरादा वादी अब्दुल हफीज खां व प्रतिवादी सं0 01 मो0 अजीज खां के बंट व कब्जा काश्त में तथा खसरा नम्बर पुराना 1049 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद डीडवाना में से 1/2 हिस्सा दक्षिणी भाग अली हसन खां, गुलाम हसन खां पिसरान अशरफ खां व इस्लाम बानो पत्नि स्व0 ममद अली उर्फ मुनना के नाम से स्वतन्त्र रूप से घोषित की गई। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद—पत्र के साथ पेश है। इसलिए इनको इस वाद में पक्षरार नही बनाया गया है। क्योंकि इस वाद में पूर्व में विधिवत बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस हो चुका है तथा न ही इनके विरूद्व वादी ने किसी भी प्रकार की रिलिफ चाही है।

यह है कि उपरोक्त आराजी [illegible] खसरा सं0 [illegible]9 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद डीडवाना व खसरा सं0 240 रकबा [illegible]8100 [illegible] वाकै सरहद अमरपुरा की खातेदारी संयुक्त रूप से राज[illegible] में दर्ज [illegible] [illegible] के मध्य वर्षो पहले भौतिक रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से व पक्ष[illegible] के मध्य वर्षो पहले

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

भौतिक रूप से मौखिक बंट होकर अलग–अलग काबिज व काश्त होने से तथा पक्षकारान के बीच खेतों का बंटवारा विधिवत यानि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरस नही होने से वादी को दावा बाबत बंटवारा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि बंटवारा की डिक्री बहक वादी व बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि खेत खसरा सं0 पुराना 1049 रकबा 22 बीघा 07 बिस्वा वाकै सरहद डीडवाना व खेत खसरा सं0 240 रकबा 1.8100 हैक्टे0 वाकै सरहद अमरपुरा तहसील डीडवाना की सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 को वादी के हक व बंट में सम्मिलित करते हुये वादी के हक हिस्से व बंट कब्जा काश्त की भूमि जरिये नजरी नक्शा की मार्क ए बी सी डी के 1/2 भूमि का स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से ओमप्रकाश मोठ ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 02 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीया डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना की शहरद में खेत खसरा सं0 1049 में मार्क ए, बी, सी, डी भूमि में अब्दुल हफीज खां के हक अधिकार में व मार्क ए, डी, ई, एफ मो0 अजीज के हक हिस्से में रखा जावें एवं खेत खसरा सं0 240 में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को 1/2–1/2 हिस्सा नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी भूमि अब्दुल हफीज खां के हक अधिकार में व नजरी नक्शा मार्क ए, बी, एफ, ई की भूमि को मो0 अजीज के हक हिस्से में रखा जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 114/2022 दायर दिनाँक 05.04.2022

वादी		प्रतिवादी
1. अब्दुल हफीज खां पुत्र मो0 हुसैन खां उम्र 40 वर्ष जाति पठान निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मो0 अजीज खां पुत्र मो0 हुसैन खां जाति पठान निवासी डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 05.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील वादी व श्री ओमप्रकाश मोठ वकील प्रतिवादी सं0 01 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना की शहरद में खेत खसरा सं0 1049 में मार्क ए, बी, सी, डी भूमि में अब्दुल हफीज खां के हक अधिकार में व मार्क ए, डी, ई, एफ मो0 अजीज के हक हिस्से में रखा जावें एवं खेत खसरा सं0 240 में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को 1/2–1/2 हिस्सा नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए, बी, सी, डी भूमि अब्दुल हफीज खां के हक अधिकार में व नजरी नक्शा मार्क ए, बी, एफ, ई की भूमि को मो0 अजीज के हक हिस्से में रखा जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा इस बात का कि आया डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:41:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner